

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक—8343 दिनांक— 22.10.2015 की कंडिका—1 में उल्लेखित शब्द “विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक— 6570 दिनांक— 18.12.2009” के स्थान पर “विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक— 5670 दिनांक— 18.12.2009”, तथा अधिसूचना के अन्त में ‘बिहार राज्यपाल के आदेश’ से ऊपर उल्लेखित शब्द “(प्र04 /आ—01 /09(खण्ड—III))” के स्थान पर “(प्र04 /आ0—01 /2015)” पढ़ा जाय। इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष यथावत रहेगा।

(प्र04 /आ0—01 /15)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(एल0 पी0 सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक— प्र04—आ0—01 /2015 8345 दिनांक— 22 ~ /०८ /१५

प्रतिलिपि:— ई—गजट प्रभारी, वित्त विभाग, पटना को विषयशीर्ष के साथ अंग्रेजी अनुवाद Ms Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की 100 प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0— सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कापी।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक— प्र04—आ0—01 /2015 8345 दिनांक— 22 ~ /०८ /१५

प्रतिलिपि:— सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/विशिष्ट पदाधिकारी, पटना अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन, पटना/अध्यक्ष, बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य खाद्यान्व व्यवसायिक संघ, पटना/महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्य लोक, पटना/ महामंत्री, बिहार फेयर प्राईस डीलर्स एसोसियेशन, भिखना पहाड़ी, पटना—4/ महामंत्री, बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, गायघाट, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक— प्र04—आ0—01 / 2015 **8345** दिनांक— २२—१०—१५

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना / महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना / संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

(मुख्य सचिव)
22/10/15

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक— प्र04—आ0—01 / 2015 **8345** दिनांक— २२—१०—१५

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

(मुख्य सचिव)
22/10/15

सरकार के संयुक्त सचिव ।

**Government of Bihar
Food and Consumer Protection Department**

Corigendum

The words "the department's notification no. 6570 dated 18.12.2009 " mentioned in the clause-1 of this department's Notification 8343 dated 22.10.2015 shall be read as "the department's notification no. 5670 dated 18.12.2009" and the words "(Pra-04-aa-01/09-Part-iii)" mentioned at the end of the notification above the words 'By the order of the Governor of Bihar' shall be read as "(Pra-04-aa-01/2015)". It shall be deemed to be amended to this extent.

The rest shall remain as it is.

(Pra-04-aa-01/2015)
By order of the Governor of Bihar



(L.P. Singh)
Joint Secretary to the Govt.